c vnkyr rglhynkj ,o lgk;d lekgrk] iFke J.kh] ikyeij]
ftyk dkxMk ¼fg0 i0½

मुकद्दमा नं0 :　　　　किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती　　　　तारीख पेशी :

हल्या देवी　　　　बनाम　　　　आम जनता।

नोटिस बनाम.——हल्या देवी विधवा जगदीश चन्द, निवासी वार्ड नं0 3, गांव व डाकघर स्पैड़ू, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

उपरोक्त मुकद्दमा इस न्यायालय में विचाराधीन हैं। इसमें प्रार्थिया ने नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना—पत्र पेश किया है। प्रार्थना—पत्र में प्रार्थिया ने व्यक्त किया है कि मेरा नाम (Halya Devi) हल्या देवी है जबकि आधार कार्ड में मेरा नाम अहिल्या देवी (Ahilya Devi) गलत दर्ज हो गया है। अतः ई—राजपत्र द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम (Halya Devi) हल्या देवी है।

आज दिनांक 19—03—2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

————————

c vnkyr Jh lktu cXxk rglhynkj ,o lgk;d lekgrk] iFke J.kh] ikyeij]
ftyk dkxMk ¼fg0 i0½

मुकद्दमा नं0 :　　　　किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती　　　　तारीख पेशी : 02—04—2025

आशा रानी　　　　बनाम　　　　आम जनता।

नोटिस बनाम.——आशा रानी पुत्री ओम प्रकाश हाल पत्नी गोविन्द राम गोस्वामी, निवासी वार्ड नं0 2, गांव व डाकघर गोपालपुर, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

उपरोक्त मुकद्दमा इस न्यायालय में विचाराधीन हैं। इसमें प्रार्थिया ने अपने नाम की दुरुस्ती हेतु प्रार्थना—पत्र पेश किया है। प्रार्थना—पत्र में प्रार्थिया ने व्यक्त किया है कि उसका नाम आशा रानी है, जबकि अन्य दस्तावेजों में उसका नाम आशा रानी व आशा रानी गोस्वामी है। अतः ई—राजपत्र द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं।

अतः इस बारे किसी को कोई भी उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 02—04—2025 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है। गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 19—03—2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

---

c vnkyr rglhynkj ,o lgk;d lekgrk] iFke J.kh] ikyeiqj] ftyk dkxMk ¼fg0 i0½

मुकद्दमा नं0 :   किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती   तारीख पेशी :

बिहारी लाल   बनाम   आम जनता।

नोटिस बनाम.——बिहारी लाल पुत्र महलू राम, निवासी गांव व डाकघर अरला, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

उपरोक्त मुकद्दमा इस न्यायालय में विचाराधीन हैं। इसमें प्रार्थी ने अपने व अपने पिता के नाम की दुरुस्ती हेतु प्रार्थना–पत्र पेश किया है। प्रार्थना–पत्र में प्रार्थी ने व्यक्त किया है कि उसका व उसके पिता का सही नाम बिहारी लाल (Bihari Lal) व महलू राम (Mahlu Ram) है जबकि आधार कार्ड में मेरा व मेरे पिता का संसार चन्द (Sansar Chand) व भागो (Bhago) गलत दर्ज हो गया है। अतः ई–राजपत्र द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि मेरा व मेरे पिता का सही नाम बिहारी लाल (Bihari Lal) व महलू राम (Mahlu Ram) है।

आज दिनांक 19–03–2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।   हस्ताक्षरित/–
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

---

c vnkyr lgk;d lekgrk iFke J.kh] 'kkgiqj] ftyk dkxMk ¼fg0 i0½

तकसीम भूमि :   पेशी तारीख : 09–4–2025

राम लोक पुत्र लाला, विजय दीप पुत्र राम लोक, सरोज वाला पत्नी राम लोक, निवासीगण महाल दरगेला, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) .. वादी।

बनाम

धर्म चन्द पुत्र सीता राम, किशोरी लाल पुत्र भगत राम, निवासीगण महाल दरगेला, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) .. प्रतिवादीगण।

विषय.——तकसीम भूमि जेर धारा 123 हि0प्र0 राजस्व अधिनियम 1954 के तहत तकसीम भूमि खाता नं0 370, खतौनी नं0 488, खसरा नं0 1125, रकबा तादादी 00–03–66 है0 वाक्या महाल दरगेला, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) मुताबिक जमाबन्दी वर्ष 2018–19.

उपरोक्त विषय से समबन्धित तकसीम भूमि की मिसल अधोहस्ताक्षरी के पास विचाराधीन है, जिसमें उपरोक्त में कुछ प्रतिवादीगण को बार–बार समन जारी किए गए परन्तु हर बार समन बिना तामील के वापिस

प्राप्त हुए हैं। इसलिए अदालत हजा को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि उक्त प्रतिवादी की तामील साधारण तरीके से नहीं हो सकती, साथ ही प्रार्थी उनका सही पता पेश करने में असमर्थ है।

अतः इस इश्तहार द्वारा प्रतिवादीगण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में दिनांक 09—04—2025 को दोपहर बाद 2.00 बजे इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना पक्ष या एतराज पेश कर सकता है । हाजिर न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक .... को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

————————

c vnkyr dk;ldkjh n.Mkf/kdkjh] 'kkgiqj] ftyk dkaxMk ¼fg0 iz0½

मुकद्दमा : इन्द्राज मृत्यु तिथि — पेशी : 09—04—2025

श्री जोध राज 60 वर्ष पुत्र श्री अमरी उर्फ अमर सिंह, निवासी महाल रछयालू, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.——जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेर धारा 13(3) पुनरावलोकित 1969 के तहत मृत्यु प्रमाण—पत्र लेने बारे प्रार्थना—पत्र।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना—पत्र मय ब्यान हल्फिया गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसके पिता श्री अमरी उर्फ अमर सिंह पुत्र श्री छिंजू की मृत्यु दिनांक 20—12—1986 को गांव रछयालू में हुई है, लेकिन अज्ञानतावश उनकी मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत रछयालू में दर्ज न करवा सके हैं। प्रार्थी उक्त मृत्यु तिथि को दर्ज करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना—पत्र के सन्दर्भ में यदि आम जनता या अन्य किसी को उक्त मृत्यु तिथि को ग्राम पंचायत रछयालू के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 09—04—2025 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक .... को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

————————

c vnkyr dk;Zdkjh n.Mkf/kdkjh] 'kkgiqj] ftyk dkaxM+k ¼fg0 iz0½

मुकद्दमा : इन्द्राज मृत्यु तिथि पेशी : 09—04—2025

श्री रमेश कुमार पुत्र श्री प्रीतम चन्द, निवासी महाल झुलाड़, डा0 व तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.——जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेर धारा 13(3) पुनरावलोकित 1969 के तहत मृत्यु प्रमाण—पत्र लेने बारे प्रार्थना—पत्र।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना—पत्र मय ब्यान हल्फिया गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसके पिता प्रीतम चन्द पुत्र श्री किहरू राम की मृत्यु दिनांक 18—11—2006 को गांव झुलाड़ में हुई है, लेकिन अज्ञानतावश मृत्यु तिथि नगर पंचायत शाहपुर में दर्ज न करवा सके हैं। प्रार्थी उक्त मृत्यु तिथि को दर्ज करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना—पत्र के सन्दर्भ में यदि आम जनता या अन्य किसी को उक्त मृत्यु तिथि को नगर पंचायत शाहपुर के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 09—04—2025 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक .... को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

———————

c vnkyr dk;Zdkjh n.Mkf/kdkjh] 'kkgiqj] ftyk dkaxM+k ¼fg0 iz0½

मुकद्दमा : इन्द्राज मृत्यु तिथि पेशी : 09—04—2025

श्री सरूप चन्द उम्र 72 वर्ष पुत्र श्री दीवान चन्द, निवासी गांव व डा0 अनसुई, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.——जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेर धारा 13(3) पुनरावलोकित 1969 के तहत मृत्यु प्रमाण—पत्र लेने बारे प्रार्थना—पत्र।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना–पत्र मय ब्यान हल्फिया गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसकी माता श्रीमती दुकड़ी देवी पत्नी श्री दीवान चन्द निवासी गांव व डा0 अनसुई, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) की मृत्यु दिनांक 17–11–1993 को गांव अनसुई में हुई है, लेकिन अज्ञानतावश उनकी मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत अनसुई में दर्ज न करवा सके हैं। प्रार्थी उक्त मृत्यु तिथि को दर्ज करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना–पत्र के सन्दर्भ में यदि आम जनता या अन्य किसी को उक्त मृत्यु तिथि को ग्राम पंचायत अनसुई के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 09–04–2025 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक .... को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/–
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

——————————

c vnkyr lgk;d lekgrk f}rh; J.kh ,o uk;c rglhynkj] mi&rglhy dkVyk] ftyk dkxMk ¼fg0i0½

मिसल नं0 : 12/RNTK/2025	किस्म मुकद्दमा : जन्म तिथि पंजीकरण	तारीख पेशी : 09–04–2025

रमेश कुमार पुत्र प्रेम चन्द, गांव व डा0 त्रिलोकपुर, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा : जन्म तिथि पंजीकरण करवाने हेतु आवेदन–पत्र।

प्रार्थी रमेश कुमार ने इस अदालत में आवेदन–पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला पंजीकार जन्म व मृत्यु कांगड़ा स्थित धर्मशाला व तहसीलदार ज्वाली के माध्यम से गुजारा है कि उसकी जन्म तिथि दिनांक 26–07–1920 है। प्रार्थी अपनी जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत त्रिलोकपुर में दर्ज करवाना चाहता है। इस बाबत उसने बतौर सबूत हल्फिया ब्यान, दो गवाहों के हल्फिया ब्यान आधार कार्ड व मुख्य चिकित्सा अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला द्वारा जन्म तिथि पंजीकरण पत्र संलगन किया है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की जन्म तिथि 26–07–1920 ग्राम पंचायत त्रिलोकपुर में दर्ज किये जाने बारे यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 09–04–2025 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा कर प्रार्थी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत त्रिलोकपुर में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 17–03–2025 को हस्ताक्षर व मोहर इस अदालत से जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,
उप–तहसील कोटला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————

c vnkyr lgk;d lekgrkZ f}rh; Js.kh ,oa uk;c rglhynkj] mi&rglhy dksVyk]
ftyk dkaxM+k ¼fg0iz0½

मिसल नं0 :	किस्म मुकद्दमा :	तारीख पेशी :
11 / RNTK/2025	जन्म तिथि पंजीकरण	09–04–2025

मीना कुमारी पुत्री दलीपा, निवासी गांव नेरा, डा0 कोटला, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा : जन्म तिथि पंजीकरण करवाने हेतु आवेदन–पत्र।

प्रार्थिया मीना कुमारी ने इस अदालत में आवेदन–पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला पंजीकार जन्म व मृत्यु कांगड़ा स्थित धर्मशाला व सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी ज्वाली के माध्यम से गुजारा है कि उसकी जन्म तिथि दिनांक 10–09–1973 है। प्रार्थिया अपनी जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत वलाह कोटला में दर्ज करवाना चाहती है। इस बाबत उसने बतौर सबूत हल्फिया ब्यान, दो गवाहों के हल्फिया ब्यान आधार कार्ड व मुख्य चिकित्सा अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला द्वारा जन्म तिथि पंजीकरण पत्र संलगन किया है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया की जन्म तिथि 10–09–1973 ग्राम पंचायत वलाह कोटला में दर्ज किये जाने बारे यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 09–04–2025 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा कर प्रार्थिया की जन्म तिथि ग्राम पंचायत वलाह कोटला में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 17–03–2025 को हस्ताक्षर व मोहर इस अदालत से जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,
उप–तहसील कोटला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————

c vnkyr dk;Zdkjh n.Mkf/kdkjh] mi&rglhy jktk dk rkykc]
ftyk dkaxM+k ¼fg0 iz0½

मिसल नं0 : 03/NT/RKT/2025

प्रार्थिया नीलम कुमारी पुत्री प्रकाश चन्द, निवासी गांव झाजवां, डा0 व तहसील राजा का तालाब, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.——प्रार्थना—पत्र जेरे नियम 13(3) हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नीलम कुमारी पुत्री प्रकाश चन्द, निवासी गांव झाजवां, डा0 व तहसील राजा का तालाब, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि मेरा जन्म दिनांक 10—02—1978 को गांव झाजवां में हुआ है जिसे मेरे माता—पिता अज्ञानतावश पंचायत रिकार्ड में दर्ज न करवा सके, जिसे मैं ग्राम पंचायत नेरना के रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहती हूं।

अतः इस इश्तहार के द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त जन्म पंजीकरण दर्ज करवाने बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 19—04—2025 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में उपस्थित होकर अपना एतराज पेश कर सकता है तथा कोई एतराज पेश न होने की सूरत में जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत नेरना के पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

दिनांक 13—03—2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप—तहसील राजा का तालाब, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

——————————